Sri Santosh Kumar
DASJ-I-cum-Spl. Judge S.C./S.T.
Saharsa

<u>जिला– सहरसा</u>
<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, सहरसा</u>
–सह–
विशेष न्यायाधीश अनु.जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि.
सहरसा
<u>स्पेशल एस.सी./एस.टी. 23/2021</u>
<u>बख्तियारपुर थाना कांड संख्या–15/2015</u>

1. राज्य (द्वारा) ललन राम पिता भूमि राम
साकिन–सैनी टोला, थाना–बख्तियारपुर, जिला–सहरसा
....अभियोजन पक्ष

बनाम

1. कैलाश सहनी उम्र 34 वर्ष, पिता नुनुलाल सहनी
साकिन सैनी, थाना बख्तियारपुर,
जिला–सहरसा
....अभियुक्त

<u>वाद से संबंधित तिथियों का विवरण:–</u>

1.	घटना की तिथि	19.01.2015	
2.	प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि	19.01.2015	अंदर धारा 379 भा0द0वि0 एवं अंदर धारा 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।
3.	आरोप पत्र सं. एवं दाखिल करने की तिथि	19/15, 31.01.2015	अंदर धारा 379/504 भा0द0वि0 एवं अंदर धारा 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।
4.	संज्ञान लेने की तिथि	10.06.2015	अंदर धारा 379/504 भा0द0वि0 एवं अंदर धारा 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।
5.	आरोप गठन की तिथि	18.02.2022	अंदर धारा 379/504 भा0द0वि0 एवं अंदर धारा 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।
6.	अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	19.09.2024	
7.	अभियोजन साक्ष्य बंद होने की तिथि	11.06.2026	
8.	धारा–313 द0प्र0स0बयान तिथि	11.06.2026	
9.	सफाई साक्ष्य प्रारंभ की तिथि		
10. सफाई	सफाई साक्ष्य बंद होने की तिथि		
11.	बहस प्रारंभ होने की तिथि	11.06.2026	
12.	बहस बंद करने की तिथि	11.06.2026	
13.	निर्णय की तिथि	11.06.2026	

Sri Santosh Kumar
DASJ-I-cum-Spl. Judge S.C./S.T.
Saharsa

स्पेशल एस.सी./एस.टी. 23/2021
बख्तियारपुर थाना कांड संख्या–15/2015

लगातार
11.06.2026

अभियोजन की ओर से :– श्री अमरेंद्र कुमार
विद्वान विषेष लोक अभियोजक

बचाव पक्ष की ओर से :– श्री सिकन्दर दास, विद्वान अधिवक्ता

सहरसा, दिनांक–11.06.2026

उपस्थितः– श्री संतोष कुमार,
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
सहरसा।

निर्णय

1. इस आपराधिक वाद के अभियुक्त 1. कैलाश सहनी के विरूद्ध धारा–379 भा0द0वि0 एवं धारा–3(i)(x) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों के विनिश्चयन हेतु विचारण किया गया है।

2. अभियोजन कहानी का सारांश यह है कि ''मैं ललन राम पिता श्री भूमि राम ग्राम–सैनी टोला, पो–सिमरी बख्तियारपुर, जिला–सहरसा का स्ीायी निवासी हूँ। मैं बाजार से दिनांक 19.01.2015 को अपने घर जा रहा था। रास्ते में मुझे कैलाश सहनी पिता नुनुलाल सहनी मिला मुझे बोला कि आप मुझे थियेटर का खर्च दे दो। मैं उसे बोला कि कल मैं थियेटर का खर्च दे दूँगा उसने कहा कि कुल अगर थियेटर का खर्च दोगे तो मेरा मोबाईल नम्बर लिख लो जब मैं मोबाईल निकालकर उसका नम्बर लिखना चाहा तो उसने मेरा जेब चेक करना शुरू कर दिया मैं दिनांक 19.01.2015 को कोशी ग्रामीण बैंक से विद्यालय का छात्रवृत्ति निकालकर कर करीबन 03:10 बजे अपने घर जा रहा था। उसने मेरा मोबाईल एवं 29400 (उन्तीश हजार चार सौ रूपेय) छीन कर चला गया और बोला कि अगर तुम कहीं भी मेरा नाम बदनाम किया तो जाति का चमार हो मैं जान से मार दूँगा।'' उपरोक्त आशय के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज किया गया।

स्पेशल एस.सी./एस.टी. 23/2021
बख्तियारपुर थाना कांड संख्या–15/2015

लगातार
11.06.2026

3. उपरोक्त आशय का सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर बख्तियारपुर थाना कांड संख्या– 15/2015 अंतर्गत धारा–379/504 भा.द.वि. एवं धारा–3(i)(x) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम के अंतर्गत नामजद अभियुक्त के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया तथा अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के क्रम में घटना को सत्य पाकर अभियुक्त 1. कैलाश सहनी के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–19/2015 दिनांक–31.01.2015 समर्पित किया गया।

4. आरोप पत्र प्राप्त होने पर उपरोक्त अभियुक्त कैलाश सहनी के विरूद्ध दिनांक–10.06.2015 धारा– 379/504 भा.द.वि.एवं धारा–3(i)(x) अनु.जाति जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम भा0द0वि0 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लेते हुए वाद दौरा सुपूर्दगी किया गया।

5. दिनांक–18.02.2022 को उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा– 379/504 भा.द.वि.एवं धारा–3(i)(x) अनु.जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि.के अंतर्गत आरोप का गठन होने के पश्चात अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य ग्रहण किया गया है। साक्ष्य प्रकरण बंद होने के पश्चात दिनांक–11.06.2026 को अभियुक्त का बयान धारा–313 द.प्र.स.के अंतर्गत लिया गया। अभियुक्त का बचाव है कि इनको इस मुकदमा में झूठा फंसाया गया है तथा वे निर्दोष हैं।

6. अब इस वाद में मुख्य विनिश्चयन का प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहे हैं ?

7. तथा कथित आरोप को साबित करने के लिये अभियोजन की ओर से कुल मिलाकर दो साक्षियों को परीक्षित कराया गया। वे है अभियोजन साक्षी संख्या 1 ललन राम एवं अभियोजन साक्षी संख्या 2. सुबोध साह। अभियोजन साक्षी संख्या 2 ने न्यायालय में स्पष्ट कथन किया कि मैं घटना के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ और न ही पुलिस में मेरा बयान हुआ था। अभियोजन साक्षी संख्या 1 ललन राम ने न्यायालय में सशपथ कथन किया कि घटना 8 वर्ष पूर्व दो–ढ़ाई बजे दिन का है। कैलाश सहनी ने मेरे साथ मारपीट किया। पैसा एवं मोबाईल छीन लिया। उसके बाद मैं बख्तियारपुर थाना जाकर आवेदन दिया जिस पर मेरा हस्ताक्षर है। आवेदन

स्पेशल एस.सी./एस.टी. 23/2021
बख्तियारपुर थाना कांड संख्या–15/2015

लगातार
11.06.2026

को इनके पहचान पर प्रदर्श P-1/PW-1 अंकित किया गया है। बचाव पक्ष के द्वारा इनका प्रतिपरीक्षण किया गया जिसमें उनहेंने स्पष्ट कथन किया कि इनका मोबाईल और रूपया किसने लिया मैंने नहीं देखा और मुझे जाति सूचक गाली किसने दिया यह भी मैं नहीं जानता हूँ। अंततः इनके द्वारा कथन किया गया कि मुदालह से मैंने सुलह कर लिया।

मन्तव्य

15. अभिलेख पर उपलब्ध सूचक के बयान और अभियोजन साक्षी संख्या 2 के बयान से एक मात्र अभियुक्त कैलाश सहनी के विरूद्ध लगाये किसी भी आरोप को साबित करने का कोई विधिक साक्ष्य दृष्टिगोचर नहीं होता है।

अतः अभिलेख पर विधिक साक्ष्य नहीं रहने के कारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि इस वाद के एक मात्र अभियुक्त कैलाश सहनी को विरचित आरोप को सभी युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित करने में अभियोजन पूर्णतः विफल रहा है। अतः विधिक साक्ष्य के अभाव में एक मात्र अभियुक्त को उनके विरूद्ध विरचित सभी आरोपों के लिये दोषमुक्त करते हुए उन्हें तथा उनके जमानतदारों को बंध पत्र के दायित्वों से मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

(संतोष कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
सहरसा
11.06.2026

लेखापित

(संतोष कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
सहरसा
11.06.2026

Sri Santosh Kumar
DASJ-I-cum-Spl. Judge S.C./S.T.
Saharsa

स्पेशल एस.सी. / एस.टी. 23 / 2021
बख्तियारपुर थाना कांड संख्या–15 / 2015

लगातार
11.06.2026

अभियोजन / बचाव पक्ष / न्यायालय साक्षीगण की सूची

क–अभियोजन

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी साक्षी, अन्य साक्षी)
p.w.-1	ललन राम	सूचक
p.w.-2	सुबोध साह	अन्य साक्षी

ख–बचाव पक्ष साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी साक्षी, अन्य साक्षी)

ग–बचाव पक्ष साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति(प्रत्यक्षदर्शी साक्षी,पुलिस साक्षी,विषेषज्ञ साज्ञी साक्षी,मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी साक्षी,अन्य साक्षी)

अभियोजन / बचाव पक्ष / न्यायालय प्रदर्श की सूची

क–अभियोजन

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	P-1/PW-1	लिखित आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर

Sri Santosh Kumar
DASJ-I-cum-Spl. Judge S.C./S.T.
Saharsa

स्पेशल एस.सी./एस.टी. 23/2021
बख्तियारपुर थाना कांड संख्या–15/2015

लगातार
11.06.2026

ख–बचाव पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

ग–न्यायालय प्रदर्श

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

घ–वस्तु प्रदर्श

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

(संतोष कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
–सह–
विशेष न्यायाधीश, सहरसा
11.06.2026